राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(81)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेस PMAY-G / जयपुर, दिनांक 08 DEC 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, जिला समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत PMAY-G तथा व्यक्तिगत लाभ के कार्यों लाभार्थियों को जारी होने वाले मस्टर रोल में मूल लाभार्थी को श्रमिक के रूप में मस्टर रोल जारी कराने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.18, 21.01.19 एवं 12.02.20।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थियों उनके श्रम संबंधी कार्यों हेतु मस्टर रोल जारी किये जाने का प्रावधान है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी को 90 दिवस का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है, जिसकी कुल राशि 19,890 (रु. 221 x 90 मानव दिवस) होती है।

वस्तुतः उपरोक्त समस्त व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में यह व्यावहारिक समस्या आती रहती है कि एक व्यक्तिगत कार्य में दूसरा श्रमिक कार्य करने को इच्छुक नहीं होता। सामान्य श्रम नियोजन में भी यह सिद्धान्त अपनाया जाता है कि जब 5 के ग्रुप में कार्य हों तो उसमें श्रमिकों की अपनी इच्छा से श्रमिक लगाये जाये। इसमें श्रमिकों की पृष्ठ भूमि की समरूपता का ध्यान रखना भी सहायक होता है।

परंतु ऐसा ध्यान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में इस मार्गदर्शक सिद्धान्त की समुचित पालना नहीं हो रही है –

- कहीं व्यक्तिगत कार्य में जारी होने वाले मस्टर रोल में लाभार्थी का श्रमिक के रूप में नाम ही नहीं लिखा जा रहा है। प्रत्येक जॉब कार्ड में औसतन दो या तीन श्रमिक होते ही हैं और अपने कार्य के अंतर्गत श्रम नियोजन का पहला अधिकार उन्हीं का है। साथ ही उस श्रमिक ने 100 दिवस तक कार्य नहीं किया है, तो उसे अपने कार्य में नियोजन होना अनिवार्य भी है। ऐसे में जब तक किसी श्रमिक के पास श्रम दिवस विद्यमान हों, तब तक उसके परिवार को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उस परिवार के श्रम दिवस पूर्ण हो चुके हों तब भी स्वयं के कार्य में उसकी सहमति से ही व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए।
- कहीं व्यक्तिगत कार्य में जारी होने वाले मस्टर रोल में लाभार्थी की इच्छा के बिना किसी अन्य श्रमिक का नाम लिखा जा रहा है। यहाँ भी व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रमिक नियोजन की इच्छा सर्वोपरि है और ऐसे में जब तक किसी श्रमिक के द्वारा अपने कार्य में अन्य को कार्य नहीं कर पाने की लिखित सहमति नहीं हो, तब तक उसके परिवार को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जाता है।
- व्यक्तिगत कार्यों में कोई मेट नहीं होता, ऐसे में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में लाभार्थी का नाम अंकित कर मस्टर रोल लाभार्थी को ही दिये जाने का प्रावधान है परन्तु कतिपय प्रकरणों में यह परिवाद लाया गया है कि मस्टर रोल स्वयं लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। मस्टर रोल लाभार्थी के अलावा किसी को भी दिया जाना गंभीर अनियमितता है,

अतः इस संबंध में कहीं भी त्रुटि की जा रही हो वहाँ समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

वर्तमान में श्रम नियोजन हेतु पंचायत समिति स्तर पर सामान्यतः ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक द्वारा श्रमिक की सूची प्रेषित करने की प्रक्रिया है जिसे एमआईएस मैनेजर द्वारा अंकित कर मस्टर रोल जारी किया जाता है। इसमें नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा भी श्रमिक की मांग दर्ज करने का भी प्रावधान है, और तब भी मस्टर रोल जारी करना एमआईएस मैनेजर के ही दायित्व में आता है। अतः जहां भी व्यक्तिगत कार्य में लाभार्थी के नाम के बजाय किसी अन्य श्रमिक का नाम प्रस्तावित दिखे तो वह ऐसी विसंगति को कार्यक्रम अधिकारी के ध्यान में लाकर ही मस्टर रोल जारी करे और जहां पर उपरोक्त नियमों की अवहेलना दिखे वहा विकास अधिकारी द्वारा कठोरता पूर्वक कार्यवाही की जाये।

यह भी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पत्र दिनांक 29.07.2021 **(प्रति संलग्न)** द्वारा एक श्रमिक के 100 दिवस के रोजगार की मांग एक साथ किये जाने हेतु **नवीन प्रपत्र–6** जारी किया गया है। इसका भी इसमें लाभ लिया जा सकता है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थी को **'आवास सॉफ्ट'** से तीन किश्तों में अनुदान राशि जारी की जा रही हैं। 'आवास सॉफ्ट' पर स्वीकृति के साथ 28 दिवस एवं कुर्सी स्तर तक निर्माण पर शेष 62 दिवस की मस्टर रोल जारी करने का प्रावधान है। 'आवास सॉफ्ट' पर कार्य पूर्ण होने पर नरेगा सॉफ्ट से मस्टर रोल जारी करने में तकनीकी समस्या के क्रम में लाभार्थी को समय पर 90 दिवस की मस्टर रोल जारी करना आवश्यक है। अतः PMAY-G लाभार्थियों के आवास स्वीकृति जारी होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ से पूर्ण कराने तक 90 दिवस के रोजगार की मांग एक साथ इस **नवीन प्रपत्र** में प्राप्त कर मस्टर रोल लाभार्थी स्वयं को जारी किये जावें तथा PMAY-G दिशा–निर्देशानुसार स्टेजवाईज श्रमिक नियोजित कर 90 दिवस का रोजगार आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।

निर्देशों की अवहेलना कर लाभार्थी के अलावा अन्य को मस्टर रोल जारी करने के लिये कार्यक्रम अधिकारी तथा संबंधित ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.के. पाठक),
शासन सचिव, ग्राविवि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधीक्षण अभियंता, ग्रावि (PMAY-G), सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाइडलाईन/2019/ जयपुर, दिनांक: 29 JUL 2021

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों द्वारा 100 दिवस के रोजगार की एक साथ मांग हेतु संशोधित आवेदन पत्र/प्रपत्र –6 बाबत।

संदर्भ :–विभागीय पत्र कमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भास/माद/18–19 दिनांक 09.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग एवं पावती रसीद संबंधी निर्देश जारी किये गये थे एवं आवेदन हेतु फार्म न. 6 का प्रारूप भेजा गया था। योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को 100 दिवस के रोजगार की एक साथ मांग करने हेतु व्यक्तिगत अथवा समूह आवेदन के लिए आवेदन फार्म प्रपत्र – 6 का संशोधित प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है।

इस प्रपत्र से न केवल श्रमिकों को उनकी मांग की समुचित पावती सुनिश्चित होगी, अपितु जिला स्तर पर भी मास अनुसार पहले से श्रमिक संख्या अनुसार कार्य निर्धारण में भी सुविधा होगी। उचित होगा कि इसमें शिविर लगाकर एक साथ ही आवेदन ले लिया जाये, ताकि श्रमिक अपनी इच्छानुसार एक साथ ही साल भर के लिए आवेदन दे सके। इसमें यह प्रपत्र श्रमिक के लिए वैकल्पिक होगा तथा वह अपनी इच्छानुसार कभी भी संशोधन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

कृपया आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिकों को एक साथ 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की मांग एमआईएस पर दर्ज करावें तथा उन्हें आवश्यक रूप से दिनांकित रसीद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही वर्ष भर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य की मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत करावें। संशोधित प्रपत्र–6 की प्रति विभाग द्वारा चिन्हित सभी स्थानों पर उपलब्ध करावें तथा इस संबंध में जन प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, एनजीओ तथा स्वयं सहायता समूहों की मदद से प्रचार–प्रसार करावें तथा अकुशल श्रमिकों को नवीन प्रपत्र–6 में रोजगार की मांग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

28/7/21

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रपत्र – 6

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान

कार्य के लिए आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष ....

(100 दिवस के लिए व्यक्तिगत/समूह आवेदन पत्र)

जिला............................ पंचायत समिति.......................... ग्राम पंचायत............................ग्राम..................................

व्यक्तिगत/समूह आवेदन :

क्र. सं.	व्यक्तिगत/समूह में कार्य मांगने वाले व्यक्तियों के नाम	मुखिया का नाम	जॉबकार्ड न.
1			
2			
3			
4			
5			

कार्य मांगने की अवधिः

माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा	
	प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय
अप्रेल			अगस्त			दिसम्बर		
मई			सितम्बर			जनवरी		
जून			अक्टूबर			फरवरी		
जुलाई			नवम्बर			मार्च		

दिनांक :–

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी आवेदक ....
नाम ....

हस्ता0 सरपंच/ग्रा0 वि0 अधिकारी/
ग्रा0 रो0 सहायक/क0 सहायक/वार्ड पंच

नोट :– 1. संबंद्ध कॉलम में (✔) अंकित करें। यदि किसी भिन्न तिथि को कार्य चाहते है, तो उसमें तिथि अंकित कर दें।
2. वर्ष में 100 दिन कार्य हेतु कम से कम 8 पखवाड़े तक काम की माँग करें।

रसीद

क्र.सं.	व्यक्तिगत/समूह में कार्य मांगने वाले व्यक्तियों के नाम	जॉबकार्ड न.
1		
2		
3		
4		
5		

निम्न व्यक्ति/समूह का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार मांगने का निम्नांकित पखवाड़ा अवधि /दिन .... का आवेदन प (प्रपत्र 6) दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा		माह	पखवाड़ा	
	प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय		प्रथम	द्वितीय
अप्रेल			जुलाई			अक्टूबर			जनवरी		
मई			अगस्त			नवम्बर			फरवरी		
जून			सितम्बर			दिसम्बर			मार्च		

हस्ता0 सरपंच/ग्रा0 वि0 अधिकारी/
ग्रा0 रो0 सहायक/क0 सहायक/वार्ड पंच